कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त बेंगू जिला चित्तौड़गढ(राज.)

कमांकः— १५५१

दिनांकः— 19.11.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला चित्तौडगढ (राज.)

विशयः— परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार S-1,JHARKHAND APPARTMENT,JHARKHAND MODE,GENERAL SAGAT SINGH MARG,KHATIPURA,वार्ड नं.14,जयपुर हेरिटेज जयपुर के सम्बन्ध में।
प्रसंगः—Rajasthan Sampark Portal Grievance 11200678945126 दिनांक 11.11.2020 के संदर्भ मे।

महोदय,

उपरोक्त विशय एवं प्रसंग में निवेदन हैं कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार S-1,JHARKHAND APPARTMENT,JHARKHAND MODE,GENERAL SAGAT SINGH MARG,KHATIPURA,वार्ड नं.14,जयपुर हेरिटेज जयपुर की शिकायत Rajasthan Sampark Portal Grievance 11200678945126 दिनांक 11.11.2020 से इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 20.10.2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक ''थानेदार पर सरपंच पति के अपहरण व हाथ–पैर तोड़ने का आरोप''के सम्बन्ध मे।राज्य के प्रमुख समचार पत्र ने लोकतंत्र के सजग प्रहरी व चौथे स्तम्भ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए ,प्रकाशित उक्त खबर के माध्यम शासन/ अभिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार/लालफीताशाही/मिलिभगत/अव्यवस्था/सवेंदनहीनता/आपसी विवाद/मानवाधिकार हनन/राजकोष को हानि का प्रकरण उजागर कर,शासन /अभिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये है,जिससे न केवल आम जन में शासन/अभिकरण की छवि धुमिल हुई है वरन वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति रोष भी उत्पन्न हुआ है।आम जन में संवेदनशील,जवाबदेह और पारदर्शी शासन की अवधारण प्रबल हो, शासन के प्रति विश्वास दृढ़ हो तथा समस्याओ का त्वरित गति से समाधान हो,इसके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा इस खबर की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं प्रतिकिया से आमजन को अवगत करवाया जाएँ।इस प्रसंज्ञान द्वारा हमारा प्रयास,इस प्रकार है कि व्याप्त जनहित और संवेदनशील खबरो पर सरकार द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से आम जन को अवगत करवाना है साथ ही साथ कई बार प्रकाशित असत्य,भ्रामक तथा तथ्यो से परे खबरो को भी आमजन के सामने उजागर करना है जिससे आम जन में शासन/अभिकरण की छवी खराब ना होवें।

इस संबंध में थाना बेगू पर प्रकरण सख्या 204/2020 धारा 365,342,323,34 भादस में दिनांक 19.10.2020 को दर्ज हो। प्रकरण का अनुसंधान मन राजेन्द्र सिंह जैन वृताधिकारी वृत बेंगु द्वारा किया जा रहा है। दौराने अनुसंधान प्रकरण हाजा में मजरूह श्री हेमराज धाकड के जैर ईलाज बृजेश बांगड मैमौरियल हास्पीटल भीलवाडा पहुँच थानाधिकारी बेंगु द्वारा जैर ईलाज मजरूह श्री हेमराज धाकड के मेडीकल हेतु चिकित्साधिकारी को तहरीर दी गई एवं श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाडा को मजरूह हेमराज धाकड के पर्चा बयान बाबत तहरीर मुर्तिब कर तहरीर दी गई जिस पर श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट भाहर भीलवाडा द्वारा मजरूह हेमराज धाकड के पर्चा बयान लेखबद्व किये गये पर्चा बयानो कि मुल प्रति प्राप्त कि गई। प्रकरण हाजा का अनुसंधान श्रीमान के आदेशानुसार मेरे जिम्मे होने से प्रकरण हाजा घटना स्थल पर पहुँच बीटीएस ली गई। प्रथम घटना स्थल जहॉ से मजरूह हेमराज धाकड का अपहरण कर केटा कार मे आरोपीयो ने बिठाया एवं जिस स्थान पर ले जाकर मारपीट कर सडक के रोड किनारे डाला द्वितीय घटना स्थल का एफ.एस.एल टीम कि मदद निरीक्षण किया जाकर फर्द मुर्तिब कर सलग्न पत्रावली किया गया। घटना स्थल पर घटना में प्रयुक्त सदिग्ध केटा कार से मौके पर गिरी सन स्कीन को जरिये फर्द वजह सबुत जप्त किया एवं प्रथम घटना स्थल रामप्रसाद के ढाबा के गेट के लकडी के खंभे मे लगे धागे को एफ.एस.एल टीम कि मदद से जरिये फर्द जप्त किया गया। मजरूह हेमराज धाकड को जिस स्थान पर मुल्जिमानो द्वारा मारपीट कर सडक के रोड किनारे डाला गया। प्रकरण के च मदीद गवाह श्री रामप्रसाद सुथार, श्री नन्दकिशोर धाकड, श्री नरेश गुर्जर , श्री सुभाशचन्द्र धाकड, श्री प्रकाश धाकड एव प्रकरण कि प्रार्थीया श्रीमती निर्मला देवी धाकड, के बयान लिये जाकर मौके पर एफ.एस.एल टीम कि मदद से निरीक्षण घटना स्थल किया गया जाकर मौके पर पड़े खुन आलुदा पत्थरो एवं सादा पत्थरो को एफ.एस.एल टीम कि मदद जरिये फर्द प्रकरण मे जप्त किया गया। प्रकरण हाजा मे मजरूह श्री हेमराज धाकड के हमदस्त रही आई–20 कार नम्बर आर जे 09

सीबी 9089 का एफ.एस.एल टीम से निरीक्षण कराया एवं सदिग्ध केटा कार नामजद आरोपी संजय कुमार एस.एच औ पारसोली कि केटा कार नम्बर आर.जे 05 सीबी 5712 कि कार का एफ.एस.एल टीम कि मदद निरीक्षण कराया गया जिसमे कोई घटना से सम्बधित आलामात नही मिले एवं केटा कार के चारो फुटेज पर मिली मिटटी को जरिये फर्द जप्त किया गया। प्रकरण हाजा मे उठाई गई बीटीएस प्राप्त कर अवलोकन किया गया एवं प्रकरण मजरूह हेमराज धाकड एवं प्रकरण मे नामजद आरोपीगणो एवं सदिग्ध व्यक्तियो कि कॉल डिटेल प्राप्त कि गई। प्रकरण हाजा मे नामजद आरोपीगणो का घटना के समय घटनास्थल पर लोकेशन नही आना पाया एवं संजय कुमार गुर्जर कि केटा कार का भी घटना मे कोई सलिप्तता नही पाई गई। प्रकरण के चश्मदीद गवाहान द्वारा स्वंतत्र गवाह द्वारा भी नामजद आरोपीयो की घटना स्थल पर आने कि ताईद नही कि है। प्रकरण के घटना स्थल से मिटट्री उठाई गई जिसे जरिये फर्द जप्त किया गया। प्रकरण हाजा मे मजरूह श्री हेमराज धाकड कि आई/आर रिपोर्ट एवं एक्सरे प्लेट प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो मजरूह के फैक्चर हो गंभीर चोट आना अकिंत पाई गई। जिससे धारा 308 भादस का ईजाफा किया गया। प्रकरण मे पारसोली से सिगोली एवं हुरडा आरोली एवं बस्सी टोल नाके से संदिग्ध केटा कार के बारे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने हेतु टीम भेजी गई हुरडा टोल नाके से समय 8 पी एम 4 एएम तक एक केटा कार निकाल ज्ञात आया है। प्रकरण हाजा मे हिसार पैट्रोल पम्प पर कम्प्युटर ऑपरेटर श्री संजय कुमार रेबर के बयान लेखबद्व कर धारा 65 बी साक्ष्य अधिनिमय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सलग्न पत्रावली किया गया। घटना स्थल से पहले हिसार पैट्रोल पम्प से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर सदिग्ध केटा कार कि तलाश बाबत हुन्उई कम्पनी मैनैजर एवं आरटीओ कार्यालय चितौडगढ, भीलवाडा, नीमच, के नाम तहरीर मुर्तिब कर भीलवाडा एच चितौडगढ वर्श 2019–2020 मे रजिस्टर्ड हुई कारो का रिकार्ड प्राप्त कर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण मे सदिग्ध मोबाईल नम्बरो कि कॉल डिटेल प्राप्त कर अवलोकन किया जा रहा है। प्रकरण हाजा मे सदिग्ध केटा कार कि तलाश बाबत डीएसटी टीम एवं कॉल डिटेल हेतु साईबर टीम के जरिये प्रकरण मे सदिग्ध कार एवं मुल्जिमानो कि तलाश हेतु टीम गठित कर तलाश कि जा रही है। प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

अतः जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे पेश है।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह जैन)
वृत्ताधिकारी बेंगू
जिला चित्तौड़गढ़